प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,

लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त कुल सचिव,केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय जनपद लखनऊ।(नाम से)

2– समस्त प्रबंन्धक/कुलसचिव/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य सम्बन्धित विद्यालय/मेडिकल इंजीनियरिंग कालेज/महाविद्यालय /प्रबन्धन/पैरामेडिकल/पालीटेक्निक/आई0टीआई एवं मान्यता प्रदाता संस्थाएँ जनपद लखनऊ। (नाम से)

3– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी जनपद लखनऊ।

4– जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ। (नाम से)

पत्रांक C-176 /स0क0/छात्रवृत्ति/2022–23 दिनांकः 13 अप्रैल,2023

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पुनः पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया उपरोक्त विषयक उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 42/2023/1051/26–3–2023–सी0न0 1513982 दिनॉक 10 अप्रैल 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निदेशालय समाज कल्याण उ0 प्र0 लखनऊ ने वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पुनः पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित समय सारिणी को जारी करने के लिए शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया है।

निदेशक समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कतिपय शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों के छ्उात्रवृत्ति आवेदन पत्र अग्रसारित न होने, विश्वविद्यालय /एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा छात्रों/संस्थाओं की प्रमाणिकता को सत्यापित न किये जाने आदि कारणों से छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित डाटा पर कोई कार्यवाही सम्भव नही होने की स्थिति में, भारत सरकार की अनापत्ति के कम में वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुसूचित जाति के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति के निम्नलिखित विवरण के अनुसार पोर्टल खोले जाने हेतु समय–सारिणी तैयार की गयी हैः–(छायाप्रति संलग्न)

1–शिक्षण संस्थान स्तर पर अग्रसारण न होने के कारण लम्बित आवेदन।

2–परीक्षाफल विलम्ब से घोषित होने के कारण लम्बित आवेदन।

3–विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी स्तर पर सीट की संख्या/छात्रों की प्रमाणिकता का सत्यापन न होने के कारण लम्बित आवेदन।

4–पी0एफ0एम0एस0 पर पेन्डिंग/रिजेक्शन।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न शासनादेश में दी गयी प्रस्तावित समय–सारिणी के अनुसार प्रकियात्मक कार्यवाही, प्रस्तावित समयावधि में प्रत्येक बिन्दु को ध्यान पूर्वक पढते हुए कराने का कष्ट करें, जिससे कि उपरोक्त कारणों से लम्बित पात्र छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति योजना से लाभन्वित हो सके।

संलग्नः–शासनादेश सं0 42/2023/1051/26–3–2023–सी0न0 1513982 दिनॉक 10 अप्रैल 2023।

भवदीय

जिला समाज कल्याण अधिकारी,

लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।

2– जिलाधिकारी,अध्यक्ष दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति जनपद लखनऊ।

3– मुख्य विकास अधिकारी ,उपाध्यक्ष दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति जनपद लखनऊ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,

लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-42/2023/1051/26-3-2023-C.No-1513982

प्रेषक,

डा० रमेश चन्द्र तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 10 अप्रैल, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पुनः पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5607/स०क०/शिक्षा-अ/2/76/2022-23 दिनांक 28.03.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पुनः पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित समय-सारिणी को जारी करने के लिए शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कतिपय शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अग्रसारित न होने, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा छात्रों/संस्थाओं की प्रमाणिकता को सत्यापित न किये जाने आदि कारणों से छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित डाटा पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं होने की स्थिति में, भारत सरकार की अनापत्ति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति छात्रों के निम्नलिखित विवरण के अनुसार पोर्टल खोले जाने हेतु समय-सारिणी तैयार की गयी है:-

1- शिक्षण संस्था स्तर पर अग्रसारण न होने के कारण लम्बित आवेदन।
2- परीक्षाफल विलम्ब से घोषित होने के कारण लम्बित आवेदन।
3- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी स्तर पर सीट की संख्या/छात्रों की प्रमाणिकता का सत्यापन न होने के कारण लम्बित आवेदन।
4- पी०एफ०एम०एस० पर पेन्डिंग/रिजेक्शन।

3- प्रदेश के अन्दर एवं बाहर के दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों के लिए प्रस्तावित समय-सारिणी निम्नवत है:-

क्र०	प्रकियात्मक कार्यवाही	प्रस्तावित समयावधि
01	शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	17 अप्रैल 2023 से 19 अप्रैल 2023 तक
02	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्षवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाईन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लाक करना।	20 अप्रैल 2023 से 01 मई 2023 तक
03	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन०आई०सी० की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	20 अप्रैल 2023 से 02 मई 2023 तक

Scanned with OKEN Scanner

04	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लाक किया जाना।	03 मई 2023 से 01 जून 2023 तक
05	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र/संस्थाओं के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा आनलाइन ठीक करके संस्था में जमा करने हेतु प्रिन्ट निकालना।	03 मई 2023 से 10 मई 2023 तक
06	छात्र/छात्राओ द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों को विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	03 मई 2023 से 13 मई 2023 तक
07	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	15 मई 2023 से 24 मई 2023 तक
08	सन्देहास्पद डाटा के कारण पर उत्तर देने हेतु एन0आई0सी0 द्वारा छात्र/संस्था/जिला समाज कल्याण अधिकारी की लागिन पर प्रदर्शित कराना तथा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों का शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लाक किया जाना।	25 मई 2023 से 01 जून 2023 तक
09	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	02 जून 2023 से 08 जून 2023 तक
10	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड एवं एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना।	12 जून 2023 तक
11	भारत सरकार को 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि भुगतान हेतु डाटा शेयर करना।	15 जून 2023 तक

नोट:-

1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।

2- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाईन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत भरना अनिवार्य होगा।

3- निम्न स्थिति उत्पन्न होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन को केवल निरस्त किये जाने का विकल्प दिया जायेगा:-

क- दिनांक 10-05-2023 तक घोषित परीक्षाफल को आवेदन में न भरने पर।

ख- सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से घोषित/अपलोड परीक्षाफल से आवेदन में छात्र द्वारा भरे गये परीक्षाफल का मिलान न होने अथवा परीक्षाफल घोषित न होने पर।

ग- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था/छात्र को सत्यापित न किये जाने पर।

घ- पी0एफ0एम0एस0 द्वारा निरस्त किये जाने पर।

4- छात्र द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर संशोधन मान्य नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

5- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022-23 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Signed by रमेश चन्द्र
(डा0 रमेश चन्द्र तिवारी)
Date: 10-04-2023 17:29:50
उप सचिव।
Reason: Approved

पृ0सं0- 42/2023/1051(1)/26-3-2023 तद्दिनांक:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner